| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>अपील/एलआर/2005/6248/भीलवाड़ा</u>**<br>**गौरूलाल बनाम ओमप्रकाश** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **<u>06-11-2025</u>** | **<u>एकल–पीठ</u>**<br>**डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**<br>**उपस्थितः–**<br>श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी<br>श्री ज्ञानी सिंह उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3<br><br>**आदेश**<br>**1–** यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 02–06–2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।<br><br>**2–** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–10–2003 को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपील अपीलांट गौरूलाल द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02–06–2005 द्वारा स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ को प्रतिप्रेषित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>**3–** प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पंजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजे जाने पर वे न्यायालय में अनुपस्थिति रहे। अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।<br><br>**4–** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस विचारणीय बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने में सक्षम नहीं थी तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 धारा 131 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं थे। इसके उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी भूल की है। मूल खसरा नम्बर 250/125 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नम्बर 1231/125 रकबा 1 बीघा अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात के समीप रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की भूमि स्थित है जिस पर मौके पर सभी व्यक्ति काबिज चले आ रह हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जे के आधार पर ही नक्शा बनाया गया है। किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बिना खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किये ही अपीलांट | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>अपील/एलआर/2005/6248/भीलवाड़ा</u>**<br>**गौरूलाल बनाम ओमप्रकाश** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | की खातेदारी की भूमि को कम करवाकर उसका कुछ हिस्सा अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं, जिसका रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को धारा 131 के तहत कोई अधिकार नही है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने यह नहीं बताया है कि उनकी कितनी भूमि कम है तथा कम भूमि किसकी भूमि में मिलाई गई है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में नक्शे के अनुसार मौके पर ना तो कभी सीमांकन कराया व ना ही मौके पर नाप कराया है। इसके उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने धारा 131 की आड़ में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत विवादित आदेश करवा लिया। जिसका रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार नही है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें 3 बिस्वा भूमि बाबत् क्वेरी लाईसेंस जारी हो गया है, इसलिये यह भूमि कृषि भूमि की परिभाषा में नहीं आती है। अतः अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 02–06–2005 को प्रकरण पुन सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ को प्रतिप्रेषित करने का आदेश निरस्त फरमावें तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व भू अधिनियम निरस्त किया जाये।<br><br>**5–** जबाब में रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–06–2005 विधिसम्मत है। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद तरमीम से संबंधित है जिसका धारा 131 के तहत क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं जो कि विधिसम्मत आदेश है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>**6–** हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>**7–** धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम भू–प्रबन्ध संक्रियायें समाप्ति पश्चात भू–अभिलेख के संधारण, इसमें परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने तथा त्रुटि दुरूस्ती के लिये उपखण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) को अधिकारिता देती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 02–06–2005 में उल्लेखित किया गया है कि भू–अभिलेख अधिकारी उक्त अधिकार को अपने अधीनस्थ को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। अपीलीय न्यायालय द्वारा माना गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय देने से पूर्व सभी प्रभावित पक्षकारों को नहीं सुना गया है, अतः सभी संबंधितों को सुनकर वे स्वयं निर्णय पारित करें। अपीलार्थी अपना पक्ष तथा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>अपील/एलआर/2005/6248/भीलवाड़ा</u>**<br>**गौरूलाल बनाम ओमप्रकाश** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

आपत्ति उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। अतः हमारे मतानुसार अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर के प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के निर्णय दिनांक 02–06–2005 में अपील के द्वारा हस्तक्षेप योग्य कोई त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होता है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

**8–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर का निर्णय दिनांक 02–06–2005 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

**(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)**
**सदस्य**